

चलो सब मिल कर “टोरेंट हटाव” का संघर्ष और मज़बूत बनाएं!

भाइयो और बहनों,

आप भिवंडी निवासियों ने टोरेंट कंपनी को भिवंडी से हटाने की मांग को लेकर जो संघर्ष शुरू किया है वह जायज है। हम सभी संगठन आपका पुरजोर समर्थन करते हैं।

२००७ से टोरेंट कंपनी को आप के भिवंडी में बिजली वितरण का कार्यभार महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सौंपा था। उस समय भी आप में से कई लोगों ने सरकार के उस निर्णय का जोरदार विरोध किया था। सरकार ने उस निर्णय के समर्थन में कहा था कि इस तरह के निजीकरण से भिवंडी की आम जनता को बिजली की सुविधा बहतर तौर से मुहय्या होगी। मगर बहतर तो दूर, आप के अनुभव से स्पष्ट हुआ है कि किस तरह भिवंडी की आम जनता को बेहद ज्यादा दर से बिजली खरीदनी पड़ रही है और किस तरह से टोरेंट कंपनी मनमानी करके तरह तरह से आप लोगों को परेशान करती है और ज्यादा पैसे ऐठती है। भिवंडी के पॉवरलूम, कपड़ा एवं सभी उद्योगों की बर्बादी का एक कारण महँगी बिजली यह भी बताया जा रहा है। जब कि भिवंडी के साथ साथ देश के दूसरे कुछ शहरों में बिजली वितरण करने वाली इस कंपनी का टैक्स भरने के बाद का मुनाफा भी २०१८-१९ के ८८९ करोड़ से बढ़कर २०२२-२३ में २१०३ करोड़ हुआ है!

यही बात देश के दूसरे कई इलाकों में बिजली वितरण करनेवाली टाटा, अदानी, एवं दूसरे कई उद्योग समूहों के बारे में भी दिखती है। ग्राहक बेहद परेशान हैं मगर निजी कंपनियां नोट छाप रहीं हैं। कोई भी निजी कंपनी का एकमात्र उद्देश्य “आम जनता की सेवा करना” नहीं होता, बल्कि “किसी भी तरह से क्यों न हो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना” यही होता है। यही उनका धर्म होता है और यही ईमान होता है।

आम जनता की जरूरत की सारी चीज वस्तुओं, जैसे की रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात आदि पुसानेवाले दर पर आवश्यक मात्रा में मुहय्या कराना यही तो सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। और अपने देश में इनकी कोई कमी नहीं है। इनसे मुनाफे कमाने के नजरिये से कभी नहीं देखना चाहिये। मगर १९९१-९२ से निजीकरण एवं उदारीकरण के जरिये

भूमंडलीकरण की नीति के तहत, तब से अब तक केंद्र एवं राज्यों में स्थापित सभी सरकारें इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर सभी सरकारी उद्यमों को निजी पूंजीपतियों के हाथों में सौंप रहीं हैं। भिवंडी का बिजली वितरण टोरेंट कंपनी को सौंपना वैसा ही कदम है।

महाराष्ट्र एवम देश के कई दूसरे इलाकों के रहिवासी तथा बिजली कर्मचारी, बिजली उद्योग के जनहित विरोधी निजीकरण के खिलाफ ठीक उन्ही कारणों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन कारणों के लिए आप टोरेंट के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। महाराष्ट्र की आम जनता एवं बिजली कर्मचारी एक साथ मिल कर न केवल बिजली उद्योग के निजीकरण को रोक सकते हैं, बल्कि बिजली उद्योग को आम जनता के हित में सुचारू रूप से चला सकते हैं।

आप के सामने आकर आपके वोट के लिए गिडगिडाने वाले सभी जन प्रतिनिधियों को आपने बताना चाहिये कि टोरेंट को हटाया जाय यह अगर लोगों की मांग है, तो यह उन सबकी जिम्मेदारी है, जिस से वे भाग नहीं सकते। आइये, हम सब मिलकर टोरेंट को हटाने का एवं निजीकरण के खिलाफ का संघर्ष मजबूत करें। आइये, हम सब मिलकर “बिजली कानून सुधार २०२२ बिल” का भी पुरजोर विरोध करें।

काँ. सुनील चव्हाण

(सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन्स, भिवंडी)

९५०३३२१७९७

काँ. भोयर

(महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन)

९९३०००३६०८

काँ. अनिल त्यागी

(आल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंटर)

९९८७६८७६९०

काँ. काळे

(ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस)

९८५०३४०९७७

काँ. शिंगे

(कामगार एकता कमिटी)

९८२०११९३१७

२० जुलाई २०२३